न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान जलालुदीन बनाम राजस्थान सरकार
वाद संख्या – 03./2025
निर्णय दिनांक ....16/06/25........

जलालुदीन पुत्र सरफुदीन जाति रंगरेज निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 1335 खसरा सं. 21 तादादी 10.5839 हैक्ट. में वादी सह खातेदार काश्तकार है एवं खाता संख्या 343 के खसरा नं. 141 तादादी 2.9842 हैक्ट. का संपूर्ण हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। वादी का कथन है कि खाता संख्या 1335 खसरा सं. 21 तादादी 10.5839 हैक्ट. की जमाबंदी रोही साहवा तहसील तारानगर में वादी का नाम जलालुदीन पुत्र सरफूदीन की जगह जलालदीन पुत्र सरफूखां गलत दर्ज हो गया और खाता संख्या 343 के खसरा नं. 141 तादादी 2.9842 हैक्ट. का संपूर्ण हिस्सा का खातेदार काश्तकार है उक्त खाता संख्या 343 के खसरा नं. 141 तादादी 2.9842 हैक्ट. में जलालुदीन पुत्र सरफूदीन की जगह जयलाल पुत्र सरफूदीन गलत दर्ज हो गया। जबकि वादी का सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनआधार, व पहचान पत्र में सही नाम जलालुदीन पुत्र सरफूदीन है। वादी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 1335 खसरा सं. 21 तादादी 10.5839 हैक्ट. में वादी सह खातेदार काश्तकार है एवं खाता संख्या 343 के खसरा नं. 141 तादादी 2.9842 हैक्ट. में वादी का नाम जलालुदीन पुत्र सरफूदीन किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी का नाम जलालदीन पुत्र सरफूखां, जयलाल पुत्र सरफूदीन व जलालुदीन पुत्र सरफूदीन तीनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वादी की ओर से जगदीश प्रसाद पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी साहवा तारानगर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। संलग्न दस्तावेज आधार फोटोप्रति स्व प्रमाणित की गई। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में वादी का नाम **जलालुदीन पुत्र सरफूदीन** पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र व जनआधार में वादी का नाम जलालुदीन पुत्र सरफूदीन पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जलालदीन पुत्र सरफूखां व जयलाल पुत्र सरफूदीन अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 1335 खसरा सं. 21 तादादी 10.5839 हैक्ट., खाता संख्या 343 के खसरा नं. 141 तादादी 2.9842 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम क्रमशः **जलालदीन पुत्र सरफूखां, जयलाल पुत्र सरफूदीन Delete** कर इसके स्थान पर **जलालुदीन पुत्र सरफूदीन** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .....16/06/25... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)